न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 33/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी
   बनाम
   1. श्री गोविन्दराम पुत्र श्री चौथमल निवासी ढाणी जयसिंहपुरा, थाना विराटनगर, जयपुर।
   2. वाहन मालिक गाडी संख्या आरजे–32–जीए–1624
4. निर्णय दिनांक : 02.11.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अभिभाषक श्री अश्विनी कुमार बोहरा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) अभिभाषक श्री नरेन्द्र यादव निरंजन अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि पुलिस थाना पनियाला द्वारा दिनांक 12.03.2014 हरियाणा की तरफ से आ रही गाडियों की जांच करने पर पिकअप नं. आरजे–32–जीए–1624 को रोका। जांच कार्यवाही के दौरान पिकअप में अवैध रुप से परिवहन किये जा रहे पेट्रोल व डीजल मिलने पर उक्त पेट्रोल–डीजल व पिकअप को डिटेन कर थाने लाया गया। तत्पश्चात सूचना मिलने पर प्रार्थी ने दिनांक 13.03.2014 को जांच दल के साथ थाने पहुंचकर डिटेन वाहन की जांच की और वाहन में मिले 04 प्लास्टिक के ड्रम मय 750 लीटर डीजल व 11 जरीकेन मय 200 लीटर पेट्रोल को पिकअप के साथ जब्त किया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल का बिना किसी लाईसेंस, परमिशन के भण्डारण व परिवहन किया जा रहा था। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 31.03.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र यादव निरंजन व दिनांक 19.01.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अश्विनी कुमार बोहरा ने उपस्थिति दी। दिनांक 31.03.2014 को श्री कृष्ण कुमार यादव ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 07.04.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 02.11.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 13.03.2014 को जब्त डीजल–पेट्रोल का अप्रार्थी द्वारा अवैध भण्डारण एवं वाहन द्वारा परिवहन किया किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया तथा वाहन चालक से मौके पर पूछा तो बताया कि वो यह डीजल हरियाणा से लाकर यहां लोगों को उंचे दामों पर बेच देता है। इससे अवैध कारोबार की पुष्टि होती है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्त डीजल के बिल नहीं दिये तथा डीजल की खरीद बेचान का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया, जबकि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3 में पेट्रोल व डीजल का व्यवसाय बिना अनुज्ञा पत्र के किये जाने के संबंध में प्रतिबंध व निर्बन्धन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 04 प्लास्टिक के ड्रम मय 747.50 लीटर (नमूने लेने के पश्चात) डीजल, 11 प्लास्टिक जरीकेन मय 197.750 लीटर (नमूने लेने के पश्चात) पेट्रोल एवं जब्त वाहन पिकअप नंबर आरजे–32–जीए–1624 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •